

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0-1032 वर्ष 2017

भीम लाल महतो, पे0 श्री मात्रु प्रसाद महतो, निवासी-पालोबेरा, डाकघर-चपाकिया,
थाना-परबी, टुंडी, जिला-धनबाद

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण जिसका प्रतिनिधित्व प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, लुबी सर्कुलर रोड, डाकघर, थाना एवं जिला-धनबाद
2. प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, लुबी सर्कुलर रोड, डाकघर, थाना और जिला-धनबाद

..... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक

याचिकाकर्ता के लिए :- श्री निरंजन सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए:- श्री भवेश कुमार, अधिवक्ता

0/06.03.2017 पक्षों के विद्वान वकील सुने गए।

2. याचिकाकर्ता, जो स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, टुंडी सर्किल के पद पर काम कर रहा था, प्रतिवादी-खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद (संक्षेप में एम0ए0डी0ए0) की सेवाओं से 30.09.2016 को सेवानिवृत्त हुए। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि सेवानिवृत्ति के बाद बकाया, जैसे की भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, समूह बीमा, 50 प्रतिशत महंगाई भत्तों के विलय का बकाया, छठे वेतन संशोधन का बकाया, ए0सी0पी0 का लाभ और अन्य बकाया

आदि का भुगतान अभी तक उसे नहीं किया गया है, हालांकि उसने अनुलग्नक-2 दिनांक 31.01.2017 के माध्यम से एम0ए0डी0ए0 के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन दिया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदनों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया, इसलिए याचिकाकर्ता ने अपने शिकायतों के निवारण के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-एम0ए0डी0ए0 के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याची को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 से संपर्क करने का निर्देश दिया जा सकता है, जो कानून के अनुसार याची की शिकायतों पर विचार कर सकते हैं।

5. ऐसी परिस्थितियों में, चूंकि मामला याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति के बाद के कुछ बकाये और अन्य सेवा लाभों के भुगतान से संबंधित है, इसलिए याचिकाकर्ता को प्रतिवादी-प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 के समक्ष सभी सहायक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ नए अभ्यावेदन तीन सप्ताह की अवधि देने की अनुमति देकर रिट याचिका का निपटान किया जाता है। ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति होने पर, प्रत्यर्थी-प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 कानून के अनुसार इस पर विचार करेगा और याची के अभिलेखों के उचित सत्यापन के बाद, उसके बाद के 12 सप्ताह की अवधि के भीतर एक युक्तियुक्त एवं सकारण आदेश पारित करेगा, जिसे याची को भी सूचित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता की शिकायतें वास्तविक पाई जाती हैं और वह सेवानिवृत्ति के बाद के बकाया और अन्य सेवा लाभों को कानूनी रूप से पाने का हकदार है, तो प्रतिवादियों-एम0ए0डी0ए0 द्वारा बनाई गई

येजना के अनुसार वैधानिक ब्याज के साथ इसका संवितरण भी किया जाएगा, जो एम0ए0डी0ए0 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू है।

6. तदनुसार, यह रिट याचिका उपरोक्त शर्तों में निपटाई जाती है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)